

### FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश मुची ( ऑर्डर सीट )  
( नियम 28 )

शालय: साहायक कलेक्टर ( ए.डी.ओ ) जामस  
 डिवीजन कुमाय बंगाम सुरलीधर  
 रण की किरम राजस्थान वाड  
 रण की संख्या नं 238/12

तारीख	पीतासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संदिग्ध नोट
12/12	<p>पादीकापाद इन्फ्रिजिस्ट किमा जावे।                      प्रतिवादी गण को जटिपे बन्धन वास्ते                      जबाबदेदी तलब किमा जाकएपावली                      दिनांक 21/12/12 के पेश हो।</p> <p>साहायक कलेक्टर                      ( ए.डी.ओ. ) जामस ( नागौर )</p>	24/1/13
13/12	<p>पत्रवा लेख ई। प्रतिवादी गण के                      ( अक्र. 10/12/12 ) / अफस नामिल रूपस                      किमा अ-तफार सेक पत्रवा किमा                      24/01/13 का पेश हो।</p> <p>( साहायक कलेक्टर ) क सायबका</p>	
24/1/13	<p>14-4-13</p>	
18/4/13	<p>बखार/पत्रकारान क सायबका</p> <p>बैठायीन दबि नानी जी मिटिंग में प्रमथ                      प्रथम पर गते हुए है, इन्कि प्रथम                      उनके समक्ष किमा 6/6/13 के                      पेश हो। (31)</p>	

आयालय.....

बनाम.....

रण की किस्म.....

रण की संख्या..... वर्ष.....

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
17.5.18	<p>पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता (3.12.1)</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.3.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता 24.3.18</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 27.6.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता</p> <p>पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता आप के टारग्रेट में भ्रमण सेना केन्द्र स्थित माला में पेश हुई पत्रील कागज ने नोट प्रेस कट निवेदन किता की वाड को भागे नहीं चलाता पाएते है जदिने विद्रोस खारीज किता जाके। पत्रील कागज के लय नोट प्रेस करेन पर कागज भापाड जदिने विद्रोस खारीज किता जाता है। पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता भुमार होकर नम्बर से कम होकर इफ्तार दाखिल हो।</p>	<p>Handwritten signature and initials.</p>